यह स्मारक परिसर प्राचीन संस्मारक संरक्षण, अधिनियम 1904 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 18-11/37-एफ, दिनांक 15.12.1937 के द्वारा 'ध्वस्त किला' (पृथ्वीराज चौहान का किला) के नाम से राष्ट्रीय महत्त्व के संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना सं. का आ. 3519 (अ) दिनांक 21.11. 2013 द्वारा प्रकाशित शुद्धिपत्र के अनुसार यह किला हांसी के खसरा सं. (पुराना 9737) एवं नया 940 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 421 कनाल 7 मरला (52.67 एकड़) है।

पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के शासन कालीन विक्रम संवत 1224 (1281 ई.) के हांसी प्रस्तर अभिलेख में इस विशाल दुर्ग को आसिक दुर्ग और आसिगढ के नाम से अभिहित किया गया है। इस अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने यह दुर्ग अपने गुहिलोत वंशीय मामा किल्हण को मुस्लिम आक्रमणकारी हम्मीर से रक्षा हेतु प्रदान किया। किल्हण ने किले पर एक सुदृढ़ एवं उन्तुंग प्रतोली द्वारा बनवाया। इस सुंदर द्वार के शिखर मानों सूर्य (के रथ) को रोकने हेतु खड़े हैं और इसकी (लहराती हुई) पताकाएं मानो हम्मीर के शौर्य को ललकार रही है ऐसा प्रतीत होता है कि किल्हण ने इस प्रतोली द्वारा के निकट दो कक्ष बनवाए जो कि विजयी हाथियों के लिए स्थान थे एवं शत्रुओं से प्राप्त धन के लिए संग्रह स्थल। किल्हण पृथ्वीराज के बहुत अतरंग थे और उसे हनुमान तथा पृथ्वीराज को राम कहा गया है। अभिलेख में उल्लिखित यह प्रतोली हांसी के बड़सी गेट से निश्चय ही भिन्न रही होगी जो अब अप्राप्य इस द्वार को निर्माण सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। इसकी मरम्मत का कार्य 1522 ई. में इब्राहिम लोदी द्वारा कराये जाने को उल्लेख मिलता है। किले के द्वार का पुनर्निर्माण जॉर्ज थामस द्वारा करवाया गया। जिसके अधीन यह किला 1802 ई. तक रहा।

शुदी 5 फाल्गुन सम्वत् 1384 के पुराना किला दिल्ली संग्रहालय अभिलेख के अनुसार इस देश को हरियाणा कहा जाता था जो कि स्वर्ग के समान सुंदर है।

देशोस्ति हरियानाख्य: पृथिव्यां स्वर्गसनिभ:।
ढिल्लिकाख्या पुरी तत्र तोमरैरस्ति निर्मिता।।
तोमरानंतरं यस्यां राज्यंनिहतकंटकं।
चाहमाना नृपपाश्ववक्रु: प्रजापालनतत्परा:।।

इस देश में 'ढिल्लिका' (दिल्ली) नामक एक पुरी है जिसे तोमर राजवंश के शासकों ने बसाया था और जो बाद में चौहान राजवंश के अधिकार में आ गई।

बोहर-पालम के बिक्रम सम्वत 1333 (1390 ई.) के एक अभिलेख में भी हरियाणा प्रदेश को उल्लेख मिलता है। यहां पर पहले तोमर राजवंश, बाद में चौहान राजवंश एवं तत्पश्चात शकेन्द्र (मुस्लिम) शासक प्रतिष्ठित हुए। इस प्रदेश की राजधानी ढिल्लिका (दिल्ली) थी जिसको पहले योगिनीपुर कहा जाता था।

ये अभिलेखीय साक्ष्य इस बात की अनुशंसा करते हैं कि यह भाग हरियाणा के नाम से जाना जाता था एवं दिल्ली के शासकों द्वारा शासित था।

ये अभिलेखीय साक्ष्य इस बात की अनुशंसा करते है कि यह भाग हरियाणा के नाम से जाना जाता था एवं दिल्ली के शासकों द्वारा शासित था।

चतुर्थ शती ई. पू. के व्याकरणविद् 'पाणिनि' के ग्रंथ अष्टाध्यायी एवं द्वितीय ई. पू. के व्याकरणविद पंतजलि की पुस्तक महाभाष्य में 'आसि' और 'आसिक' शब्द मिलते हैं। हांसी के किले से सन् 1982 में बड़ी संख्या में जैन धर्म से संबधित कॉसे की मूर्तियां प्राप्त हुई जिनमें से कुछ गुप्त काल की हैं एक शेष 7वीं-8वीं ई. की है। संभवत: इन मूर्तियों को मुस्लिम आक्रमणकारी मसूद (1037 ई.) से सुरक्षा हेतु भूमि में दबाया गया था।

अफ्रीकी यात्री इब्न-ए-बतूता ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस दुर्ग का भ्रमण किया और इस दुर्ग की ऊँची रक्षा प्राचीरों के बारे में लिखा। उसने इस दुर्ग के संस्थापक का नाम तोरा बताया है जो सम्भवत: तोमर राजवंश की ओर इंगित करता है। इसी के साथ-साथ उसने हांसी के बड़े घरों एवं विशिष्ट वर्गो का भी वर्णन किया है।

चौहान राजवंश के पतन के बाद यह किला दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया जिसका उल्लेख बड़सी द्वार के अभिलेख (1522ई.) में मिलता है। सल्तनत काल में इस दुर्ग का नाम आसि/आसिगढ से बदल कर हांसी हो गया जो कि बड़सी द्वार के फारसी अभिलेख से विदित होता है।

इस अभिलेख के अंकन की तिथि 5 ज़िल कदा 928 (26 सितबर 1522) जिसके अनुसार इस ठोस इमारत का निर्माण एवं किले की मरम्मत 702 हिजरी सन् (26 अगस्त 1302 ई.) में अबुल मुजफ्फर शाह के शासन काल में हामिद खान पुत्र अमानत खान कमाल की गवर्नरी के दौरान और ख्वाजा शेख मुहम्मद की सिकदारी में हुई। इस मजमून का लेखक खानजादा नसीर मुफ्ती हांसी है।

सल्तनत काल में सुल्तान फिरोजशाह के समय इस किले का महत्व गौण हो गया एवं इसका स्थान इस किले से 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर नवनिर्मित परकोटे से युक्त हिसार शहर ने ले लिया जिसे हिसार-ए-फिरोजा (फिरोज का किला) नाम से भी जानते है। हांसी शहर मात्र प्रशासनिक उप-इकाई के रूप में मुगल एवं ब्रिटिश काल तक बना रहा।

मुगल बादशाह शाहजहां, हांसी भ्रमण कर संत जगन्नाथ पुरी समधा से मिले। तत्पश्चात उन्होने हिन्दुओं को हांसी में निवास करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। गुरु गोविन्द सिंह ने 1705 ई. में इस स्थान का भ्रमण किया और यहां के लोगों को दमनकारी मुगल शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये कहा था। सन 1707 ई. में बंदा बहादुर ने हांसी पर आक्रमण किया था। हांसी पर 1736 ई. में मराठों का राज्य रहा और 1761 ई. में पानीपत की तृतीय लड़ाई में यह अहमदशाह अब्दाली के अधीन आ गया। सन् 1780 ई. में कुछ वर्षों के लिये हांसी पर महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया का अधिकार रहा।

जॉर्ज थामस जो एक साधारण आयरिश नाविश था अपने सामरिक कौशल एवं साहस तथा उद्यम से इस क्षेत्र का राजा बन गया और हांसी को अपनी राजधानी बनाया। उसने किले का पुनर्निर्माण सन् 1796 ई. में कराया एवं हिसार में अपने निवास हेतु भवन बनवाया। जिसे जहाज (जार्ज का अपभ्रंश) कोठी के नाम से जाना जाता है। उसने हांसी में एक टकसाल का भी निर्माण करवाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा सन् 1802 ई. में हांसी पर अधिकार कर लिया गया। हांसी के लाला हुकुम चन्द्र जैन ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वे अंग्रेजो के विरुद्ध लडते हुए शहीद हो गये।

हांसी का किला ईंटों के एक मजबूत परकोटे से घिरा हुआ था। जिसमें सुरक्षा के लिये बुर्जो का निर्माण किया गया था एवं चारो कोनो पर प्रहरियों के कक्ष निर्मित थे, जो अब अवशेषो के रूप में दृष्टव्य हैं। दक्षिणी परकोटे में एक प्रवेश द्वार शेष हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पश्चिमी ओर एक घोड़ाघर निर्मित है। किले के अन्दर ईटों से निर्मित एक आयताकार बरादरी का निर्माण मिलता है। यह बारादरी मेहराब युक्त स्तम्भों पर सपाट छत वाली रचना है। इस बारादरी की दीवारों पर बाहरी ओर ईटों के उभरे हुए अर्द्धवृत्ताकार मेहराबों का अलंकरण है। बारादरी भूतल से कुछ नीचे के तल पर निर्मित है। किले में उत्तरी ओर दो मस्जिद एवं नियामत उल्लाह का मकबरा निर्मित है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की उत्खनन शाखा-2, पुराना किला, नई दिल्ली द्वारा इस स्थल का उत्खनन कार्य

2003-04 एवं 2004-05 में किया गया जिससे यहां पर

निवास एवं पुरावशेष संबंधी अनेको साक्ष्य प्रकाश में आये। यह टीला 310ग290 वर्ग मी क्षेत्र में विस्तारित है जिसकी ऊंचाई

वर्तमान भूतल से लगभग 20 मीटर है। हांसी के उत्खनन से 10 सांस्कृतिक विन्यास प्रकाश में आये है:

(1) प्रथम काल: काले एवं लाल मृदभाण्ड

(2) द्वितीय काल: चित्रित धूसर मृदभाण्ड

(3) तृतीय काल: उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृदभाण्ड

(4) चतुर्थ काल: शुंग

(5) पंचम काल : कुषाण/परवर्ती कुषाण

(6) षष्ठम काल: गुप्त

(7) सप्तम काल: राजपूत

(8) अष्टम काल: सल्तनत

(9) नवम् काल: मुगल/परवर्ती मुगल और (10) दशम काल: ब्रिटिश। चित्रित धूसर मृदभाण्ड के कटोरे और तश्तरियां, कृष्ण लेपित मृदभाण्ड/कृष्ण लोहित मृदभाण्ड, घट आकार के मनके, नाखूनी अलंकृत पकी मिट्टी की चकतियां निचेल स्तर से मिलते है। सांचे में ढले हुए पक्की मिट्टी के प्लाक के भ्रंशित टुकडे, लाल मृदभाण्ड के पुरानी आकृति के कटोरे, अंदर मुडी बाट वाले कटोरे, इंडोग्रीक सिक्के बनाने के भ्रंशित सांचे शुगकाल की विशिष्टिताएं प्रदर्शित करते हैं। कुषाण काल उत्कृष्ट भवन-संरचनाओं एवं संबंधित पुरावशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। तली युक्त मध्यम आकार के कटोरे, हैंडिल युक्त अगरबत्ती स्टैड, लाल लेपित सुराहीदार बर्तन, सांचे से बने कटोरे और कुबेर की पक्की मिट्टी की मूर्ति गुप्त काल को प्रस्तुत करते हैं।

राजपूतों के शासन काल में हांसी एक महत्वपूर्ण एवं मजबूत सुरक्षा पंक्ति के रूप में चिन्हित हुआ। विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के मन्दिरों के भग्न वास्तु खंडों से यहां के सांस्कृतिक वैविध्य का पता चलता है। ये वास्तु खण्ड परिवर्ती निर्माण में इस्तेमाल किये गये हैं। इस काल में चांदी एव तांबे के सिक्को के दो जखीरे मिले हैं। जिनमें 2100 से ज्यादा सिक्के पाये गये हैं जो अधिकांश सामंत प्रकार के है। की मिट्टी की मानव एवं पशु आकृति भी पाई गई है।

सल्तनत काल में निर्माणों के तीन चरण मिलते है। सिरेमिक पॉटरी में टेराकोटा या व्हाइट स्लिटी कोर के साथ प्लेन एण्ड पेन्टेड ग्लेज्ड वेयर, विदेशी भाण्ड जैसे ज़िलाडन वेयर पाये गये हैं। मुगल काल में नीले और सफेद पोर्सेलिन वेयर महत्वपूर्ण है।

बड़सी द्वार - इस प्रवेश द्वार का नाम बड़सी द्वार इसलिये पड़ा क्योंकि यह बड़सी नाम गांव की ओर अभिमुखी है। इस द्वार को प्राचीन संस्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत अधिसूचना संख्या 374 दिनांकित 17.06.1911 को राष्ट्रीय महत्व का अधिसूचित किया गया। हांसी का बड़सी द्वार सल्तनत कालीन स्थापत्य का एक सुन्दर नमूना है। परकोटे युक्त हांसी शहर के पांच द्वारो में से केवल अब यही विद्यमान है। प्रवेश द्वार के ऊपर उत्कीर्णित फारसी अभिलेख के अनुसार इस द्वार का निर्माण सुल्तान अलाउदीन खिलजी द्वारा हिजरी सम्बत 703 (1303 ई.) में करवाया था। बाद में 1522 ई. में इब्राहिम लोदी द्वारा इसका मरम्मत कार्य करवाया गया।

सन 1976 ई. में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह पाया की हांसी किले के चारों ओर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण

किया गया है। इस बात की पुष्टि हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थानीय प्रशासन एवं राजस्व विभाग के साथ मिलकर इस किले एवं इससे लगी हुई भूमि का वास्तविक सर्वेक्षण कर नक्शा तैयार करवाया एवं इस नक्शे का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार किये गये किले के नक्शे से मिलान किया गया, जिसमें पाया गया कि किले के चारो ओर 199 अतिक्रमण है। जिनमें से किले के पश्चिम में 101, दक्षिण में 66, पूर्व में 12 और उत्तर में 20 अतिक्रमण सुनिश्चित किये गये।

महत्वपूर्ण सूचना: इस स्मारक परिसर में संरक्षित क्षेत्र से सभी ओर 100 मीटर तक का क्षेत्र किसी भी नवनिर्माण तथा खदान कार्य के लिए निषिद्ध क्षेत्र है एवं निषिद्ध क्षेत्र के सभी

ओर 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र है एवं निषिद्ध क्षेत्र में पूर्वनिर्मित वैध निर्माण की मरम्मत तथा नवीकरण हेतु एवं विनियमित क्षेत्र में नवनिर्माण या पुनर्निर्माण के इच्छुक व्यक्ति/संस्था निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी एवं महानिदेश, संग्रहालय एवं पुरातत्त्व विभाग हरियाणा, आर्ट एंड डिजाइन बिल्डिंग, सैक्टर 10, चण्डीगढ़ को आवेदन कर सकते है।

प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) 2010 की धारा 30 एवं उपधारा 30 (अ) एवं 30(ब) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई संरक्षित स्मारक को क्षति पहुंचाता है, हटाता है या विरूपित करता है या निषिद्ध क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह कारावास के दण्ड का भागी होगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना के साथ जिसकी राशि एक लाख रूपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनो सजाऐं साथ-साथ हो सकती है।

इस स्मारक का परिक्षण एवं संरक्षण, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, चंडीगढ़ मंडल के अधीनस्थ कार्यालय संरक्षण सहायक, उपमंडल (फिरोज़शाह पैलेस), हिसार (हरियाणा) द्वारा किया जाता है।

स्मारक खुलने का समय: प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक

फिल्मिंग एवं वीडियोग्राफी शुल्क:

व्यवसायिक/कथाचित्र/डाक्यूमेंट्री हेतु शुल्क: 5000 मात्र, सुरक्षानिधि 10000 उपरोक्त राशियां पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अनुज्ञप्ति अधिकारी को प्रपत्र पग में आवेदन के साथ देय।

अनुज्ञप्ति अधिकारी: अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, चंडीगढ़ मंडल, चंडीगढ़।

अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, चण्डीगढ़ मण्डल
बे. सं. 51-52, सैक्टर 31-ए, चण्डीगढ़-160 030

द्वारा प्रकाशित

फोन: 0172-2638246
ईमेल: circlechandigarh.asi@gov.in
circlecha.asi@gmail.com

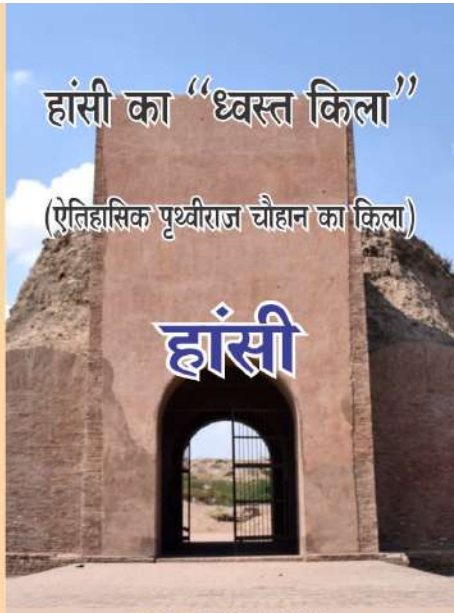

हांसी का "ध्वस्त किला"

(ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान का किला)

हांसी

अक्षांश-देशांतर: 29°05.924' N 075°57.865'
जिला: हिसार
पिन कोड: 149 802
हरियाणा

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण,
चण्डीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़
2021